

DF-1-V

सं0 27/10/2013-एस0आर0एस0
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली ।
दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

18 DEC 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनऊ
उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखण्ड ।

विषय:- दिनांक 18.09.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की संस्तुति की अनुपालन में रिट्ट याचिका संख्या 126(एस0/एस0)/2011, पान सिंह बनाम राज्य व अन्य के क्रम में सर्वश्री किशन सिंह राणा, स्टीवर्ड, क्षयरोगाश्रम, गोठिया, नैनीताल तथा राजेन्द्र सिंह ब्रिजवाल के प्रत्यावेदनों पर विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सर्वश्री किशन सिंह राणा तथा राजेन्द्र सिंह ब्रिजवाल के अनुसूचित जाति / जनजाति आवंटन नीति के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य पुनरावंटन प्रकरण पर परामर्शी समिति की दिनांक 18.09.2013 को आयोजित बैठक में विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि उपर्युक्त रिट्ट याचिका के अनुक्रम में सर्वश्री किशन सिंह राणा, स्टीवर्ड, क्षयरोगाश्रम, गोठिया, नैनीताल तथा राजेन्द्र सिंह ब्रिजवाल अनुसूचित जाति / जनजाति नीति में आच्छादित होने के उपरांत भी किसी वजह से उनके मूलनिवास राज्य उत्तराखण्ड पुनरावंटित नहीं हो पाये हैं । अतः समिति द्वारा उनका राज्य पुनरावंटन अनुसूचित जाति / जनजाति नीति के अनुसार उत्तराखण्ड किये जाने कि संस्तुति की गई ।

2. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार सर्वश्री किशन सिंह राणा तथा राजेन्द्र सिंह ब्रिजवाल अनुसूचित जाति / जनजाति नीति के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य पुनरावंटित किये जाते हैं ।

3. कार्मिकों को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए ।

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
2. श्रीमती हेमलता ढौंडीयाल, सचिव, उत्तराखण्ड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून ।

भवदीय,
[Signature]

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (सारंगधर नायक) भवन
Dept. of Personnel & Trg. Lawan
अवर सचिव, भारत सरकार
Receipt & Issued Section

18 DEC 2013

जारी किया/ISSUED